यूपी के पर्यटक आवास गृह निजी क्षेत्र के हवाले होंगे, बढ़ेंगी सुविधाएं

कैबिनेट फैसला 1

लखनऊ, विसं। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों (टूरिस्ट बंग्लों) में बेहतर आवासीय व खान-पान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इनका संचालन संविदा के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्यमियों को देगी। कुल 87 में से कितने पर्यटक आवास गृह निजी क्षेत्र में दिए जाएंगे इसे तय किया जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया।

पर्यटन निगम की इकाइयों को निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालन के लिए न्यूनतम 15 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इसके बाद लीज रेंट में 15 फीसदी की वृद्धि की शर्त के साथ विस्तारित करते हुए अगले 15 साल के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष निवेशकर्ता द्वारा पर्यटन निगम को दी जाने वाली धनराशि में पांच फीसदी वृद्धि का भी प्रावधान किया जाएगा। पर्यटन निगम को शासन से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त इकाइयों को प्रबंधकीय संविदा पर संचालित किए जाने से होने वाली कमाई पर्यटन निगम की आय मानी जाएगी। शेष इकाइयों को प्रबंधकीय संविदा पर संचालित कराए जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि की 50 फीसदी धनराशि पर्यटन निगम के खाते में हैंडलिंग शुल्क के रूप में जमा कराई जाएगी। शेष 50 फीसदी राशि राजकोष में जमा की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

1. शहरों में सड़क, सीवर व पेयजल आपूर्ति की सुविधाओं के कामों में स्टांप एवं निबंधन विभाग के माध्यम से विकास प्राधिकरणों और निकायों को पैसा सीधे दिया जाएगा।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 को मंजूरी दी गई
3. डाटा सेंटर के एक ग्रिड का खर्च सरकार वहन करेगी। ब्योरा P02

संस्कृत के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला

2 लखनऊ। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। यह बढ़ोतरी 24 साल बाद की गई है। ब्योरा P02

डिजिटल मीडिया पर अभद्र सामग्री पर होगी कार्रवाई

3 लखनऊ। यूपी सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए नीति तय कर दी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किये जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्योरा P02